अंगहीन व्यक्तियों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

२४११. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंगहीन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये १९६१-६२ में कितने काम-दिलाऊ दफ्तर खोले गये ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): एक ।

विकलांग बालकों के लिये संस्थायें

२४१२. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि विकलांग बालकों की शिक्षा और उन का उपचार करने वाली संस्थाओं का १९६१-६२ में अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली): ३,५८,११७ रुपये ४० नये पैसे ।

सोल्जर्स बोर्ड अनुरक्षण अनुदान

२४१३. **श्री रणंजय सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को किस समय तक सोल्जर्स बोर्ड अनुरक्षण अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) अन्तिम भुगतान किस तिथि को किया गया था ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) उत्तर प्रदेश में सैनिक, वायिक, वायु सैनिक बोर्डों पर आने वाले खर्च के, केन्द्रीय सरकार के भाग की अदायगी १९६१-६२ वर्ष समेत तक कर दी गई है । तदपि उस का कुछ अंश, १९६१-६२ के वास्तविक खर्च का जांच किये हुए, विवरण की प्राप्ति पर समंजन के लिये रोक लिया गया है । १९६२-६३ वर्ष के सम्बन्ध में भी केन्द्रीय सरकार के भाग का ७५ प्रतिशत विमुक्त कर दिया गया है ।

(ख) २० जुलाई १९६२ ।

Indian Border Police held by Chinese

2414. Shri Vidya Charan Shukla: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether any members of our border police are presently held in the custody of the Chinese;

(b) if so, particulars thereof; and

(c) the steps taken to obtain their release?

The Minister of Defence (Shri Krishna Menon): (a) No member of our border police force is in the custody of the Chinese.

(b) and (c). Do not arise.

राजस्थान के बैंकों को स्टेट बैंक आफ राजस्थान में मिलाना

२४१५. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के वर्तमान बैंकों का स्टेट बैंक आफ राजस्थान में मिलाने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक प्रस्ताव विचाराधीन है कि भारतीय राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम १९५९ की धारा ३८ के अधीन बीकानेर राज्य बैंक का जयपुर राज्य बैंक के कार्य, परिसम्पत्ति और देनदारियां को अपने हाथ में ले लेना चाहिये । अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया, क्योंकि इन दोनों बैंकों के निदेशक-मण्डलों (बोर्ड्स आफ डाइरेक्टर्स) ने इस विषय पर विचार नहीं किया है ।